2025 का विधेयक संख्यांक 106

[दि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवल्पमेंट एंड रिगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2025 का हिन्दी पाठ)]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 3 के खंड (कड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कच) "खनिज विनिमय" से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक व्यापार प्लेटफार्म या बाजार अभिप्रेत है, जहां खनिजों, इसके सांद्र या इसके प्रसंस्कृत प्ररुपों (धातुओं सहित) के क्रेता और विक्रेता संव्यवहार, व्यापार या संविदा, जिसके अंतर्गत व्युत्पन्न भी है, करते हैं;'।

नई धारा 6क का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम में, धारा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

गहराई में स्थित खनिजों की दशा में पट्टाधीन क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र का सम्मिलित होना ।

'6क. (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) गइराई में स्थित खनिज के खनन पट्टे का धारक, विद्यमान पट्टाधीन क्षेत्र के एक बारगी विस्तार के लिए आवेदन करेगा, जिसमें विद्यमान पट्टाधीन क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत से अनधिक संलग्न क्षेत्र सम्मिलित हो;

(ख) गहराई में स्थित खनिज की बाबत संयुक्त अनुज्ञप्ति का धारक, संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के एक बारगी विस्तार के लिए आवेदन करेगा, जिसमें अनुज्ञप्ति के अधीन विद्यमान क्षेत्र का तीस प्रतिशत से अनधिक संलग्न क्षेत्र सम्मिलित हो ।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, यथास्थिति, विद्यमान पट्टाधीन क्षेत्र या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र का ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उसमें संलग्न क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "गहराई में स्थित खनिजों" पद से ऐसे खनिज, जो खराब सतह प्रकटता वाली, भूमि की सतह से दो सौ मीटर से अधिक की गहराई पर हों, अभिप्रेत है ।'।

धारा 8क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8क में, उपधारा (7क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) "एक वर्ष में उत्पादित कुल खनिज के पचास प्रतिशत तक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन विक्रीत किए जाने वाले खनिज की मात्रा के अतिरिक्त षष्ठम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम के संदाय पर पट्टाधीन क्षेत्र में राशीकृत गोदामों के विक्रय की अनुज्ञा दे सकेगी ।"|

धारा 9ग का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9ग में,—

(i) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास |";

(ii) उपधारा (1) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर

"राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) न्यास का उद्देश्य खानों और खनिजों के प्रादेशिक और विस्तृत खोज और विकास के प्रयोजनों के लिए भारत के भीतर, जिसके अंतर्गत अपतट क्षेत्र भी है और भारत के बाहर न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग ऐसी रीति में करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।";

(iv) उपधारा (4) में, "दो प्रतिशत" शब्द के स्थान पर "तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (5) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

धारा 10ख का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10ख में, उपधारा (2) में, "केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 13 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में,—

(i) खंड ट के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(टक) धारा 6क की उपधारा (2) के अधीन निबंधन और शर्तें तथा अतिरिक्त रकम ;";

(ii) खंड (थथख), खंड (थथग) और खंड (थथघ) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (भख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(भग) धारा 15ख की उपधारा (5) के अधीन किसी खनिज की बाबत अनुदत्त पट्टे में गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज को सम्मिलित करने के लिए शर्तें" ।

नई धारा 15ख का अंत:स्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 15क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

खनन पट्टे में अन्य खनिजों का सम्मिलित होना ।

"15ख. (1) खनन पट्टे का धारक, उस पट्टे के संबंध में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर अपने खनन पट्टे में किसी अन्य खनिज को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और राज्य सरकार अष्टम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सम्मिलित खनिज के प्रेषण पर ऐसे अतिरिक्त रकम के संदाय के अध्यधीन रहते हुए ऐसे आवेदन के साठ दिन के भीतर ऐसे खनिज को सम्मिलित करने की अनुज्ञा देगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में ,अधिसूचना द्वारा और कारणों को अभिलिखित करते हुए, अष्टम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी, जिससे उसमें वर्णित प्रविष्टियों को उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से उपांतरित किया जा सके ।

(3) खनन पट्टे का धारक सम्मिलित खनिज की बाबत ऐसी रिपोर्ट या

विवरणी राज्य सरकार और किसी अन्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) इस धारा के उपबंध गौण खनिज से भिन्न खनिज की बाबत अनुदत्त पट्टे में किसी गौण खनिज को सम्मिलित करने के लिए लागू होंगे और राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा ऐसे सम्मिलित गौण खनिज के प्रेषण पर पट्टेदार द्वारा किए जाने वाले स्वामित्व और अन्य संदायों को विनिर्दिष्ट करेगी ।

(5) किसी गौण खनिज की बाबत अनुदत्त पट्टे में गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज को सम्मिलित करना ऐसी शर्तों के अनुसार किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं और ऐसे नियमों का सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) पट्टे में गौण खनिज की तुलना में गौण खनिज से भिन्न अन्य खनिज की उपस्थिति की सीमा;

(ii) खानों और खनिज विकास के विनियमन के हित में पट्टे को समाप्त करना और गौण खनिज से भिन्न अन्य खनिज की बाबत पट्टे के रुप में क्षेत्र में नए पट्टे का अनुदान करना;

(iii) ऐसे पट्टे का विनियमन जो गौण खनिज से भिन्न खनिज के लिए अनुदत्त किया गया है;

(iv) अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संदाय जो गौण खनिज से भिन्न खनिज को सम्मिलित करने पर किया जाएगा ।

(6) किसी खनिज को प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिज की बाबत अनुदत्त खनन पट्टे में इस धारा के अधीन सम्मिलित किया जा सकेगा, जहां परमाणु खनिज की श्रेणी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित सीमा मूल्य के बराबर या उससे ऊपर की है ।

(7) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी परमाणु खनिज को, जहां परमाणु खनिज की श्रेणी अधिसूचित सीमा मूल्य के बराबर या उससे ऊपर की है, ऐसे परमाणु खनिजों से भिन्न खनिजों की बाबत अनुदत्त खनन पट्टे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।"।

नई धारा 18ख का अंत:स्थापन ।

9. मूल अधिनियम में, धारा 8क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बाजार का विकास ।

"18ख. (1) खनिज विनिमयों के माध्यम से खनिजों, उनके सांद्र या उसके प्रसंस्कृत प्ररुपों (धातुओं सहित) के व्यापार सहित बाजार के विकास को ऐसी रीति से बढ़ावा देने का प्रयास करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, खनिज विनिमयों को रजिस्टर और विनियमित करने के लिए किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगी ।

(3) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) खनिज विनिमयों का रजिस्ट्रीकरण और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण"

(ख) खनिज विनिमयों और बाजार अनवेक्षा के सभी पहलुओं और

कार्यकलापों का विनियमन;

(ग) फीसों औरअन्य प्रभारों का उदग्रहण;

(घ) खनिज विनिमयों पर खनिज व्यापार से संबंधित कार्यकलापों संबंधी सूचना के डाटा बैंक का रखरखाव ;

(ङ) उत्पादक संघ, अंतरंगी व्यापार, परिपत्र व्यापार, बाजार छलसाधन, और कोई अन्य विषय जो खनिज विनिमयों के प्रतिभागियों के लिए हानिकारक है का निवारण;

(च) खनिज विनिमयों के प्रतिभागियों की शिकायत प्रतितोषण; और (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।"।

10. मूल अधिनियम की पंचम अनुसूची में,— पंचम अनुसूची का संशोधन ।

(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	खनिज	खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने या उसके विस्तार पर अतिरिक्त रकम
"2.	प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज	शून्य
2क.	सप्तम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज (पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट से भिन्न)	संदेय स्वामित्व के 50 प्रतिशत के समतुल्य "।

(ii) स्पष्टीकरण में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की षष्ठम अनुसूची में,— षष्ठम अनुसूची का संशोधन ।

(i) गैर-नीलामी कैप्टिव खानों (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न) के लिए उपशीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जांएगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	खनिज	अतिरिक्त रकम
"5क.	प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज	शून्य

(ii) स्पष्टीकरण में,खंड (क) के अधीन, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे|

12. मूल अधिनियम की सप्तम अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई अनुसूची का अंत:स्थापन ।

"अष्टम अनुसूची

[(धारा 15ख (1), (2) और (5) देखिए)]

खनन पट्टे का प्रकार	अतिरिक्त रकम, यदि सम्मिलित खनिज प्रथम अनुसूची या सप्तम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज है	अतिरिक्त रकम, यदि सम्मिलित खनिज प्रथम अनुसूची या सप्तम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिज नहीं है
(1)	(2)	(3)
(i) नीलाम किया गया खनन पट्टा (जिसके अंतर्गत कोयले के विक्रय के लिए आधारभूत राजस्व शेयर पर नीलाम किया गया कोयला और लिग्नाइट भी है)	शून्य	शून्य
(ii) गैर नीलामी खनन पट्टा	शून्य	सम्मिलित खनिज पर स्वामित्व की रकम के समतुल्य
(iii) कोयला और लिग्नाइट खनन पट्टे के प्रतिटन आधार या विद्युत टैरिफ आधार पर नीलाम किया जाएगा	शून्य	सम्मिलित खनिज पर स्वामित्व की रकम के समतुल्य

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है—

(i) अतिरिक्त रकम जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास को दिए गए स्वामित्व या किए गए संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय के अतिरिक्त होगी ।

(ii) यदि पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम खनिज की बाबत पट्टेदार द्वारा संदत्त की जाती है तो इस अनुसूची के अधीन ऐसे सम्मिलित खनिज की बाबत कोई अतिरिक्त रकम देय नहीं होगी ।

(iii) नीलाम की गई खान की दशा,—

(क) सम्मिलित खनिज की बाबत नीलामी प्रीमियम देय नहीं होगा यदि सम्मिलित खनिज प्रथम अनुसूची के भाग घ या सप्तम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज है ;

(ख) सम्मिलित खनिज की बाबत नीलामी प्रीमियम देय होगा यदि सम्मिलित खनिज प्रथम अनुसूची के खंड घ या सप्तम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज नहीं है ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 संघ के नियंत्रण में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. यह अधिनियम देश के नीति विनियामक आर्थिक विकास का भाग होने के कारण कुछ वर्षों के दौरान अनेक बार संशोधित किया गया है । 2023 में अधिनियम में किया गया अंतिम संशोधन, 24 क्रांतिक और रणनीतिक खनिजों की एक नई सूची बनाकर देश में क्रांतिक और रणनीतिक खनिजों की खोज और उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था ; जिसने केंद्रीय सरकार को ऐसे खनिजों के संबंध में खनिज रियायतों की नीलामी तथा क्रांतिक और गहराई में स्थित खनिजों की खोज अनुज्ञप्ति आरंभ करने के लिए सशक्त की जाती है ।

3. देश के विकास में क्रांतिक और रणनीतिक खनिजों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है तथा हाल ही के वैश्विक भू-राजनैतिक विकासों ने इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को संकुचित किया है । भारत अधिकतर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है । एक राष्ट्रीय क्रांतिक खनिज मिशन घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन, भारत के बाहर से सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं तथा क्रांतिक खनिजों के प्रसंस्करण का संवर्धन भी है । राष्ट्रीय क्रांतिक खनिज मिशन को इसके उद्देश्यों में समर्थन करने के लिए इस अधिनियम का और संशोधन करने की तुरंत आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन खनिजों के संरक्षण का संवर्धन करने के लिए सरल शासन, शून्य अपशिष्ट खनन और गहराई में स्थित खनिजों के निष्कर्षण का उपबंध करने के लिए आवश्यक हैं ।

4. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) राष्ट्रीय खनिज पूर्वेक्षण न्यास को भारत में न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उसका विस्तार और राज्यक्षेत्र विस्तृत करना, जिसके अंतर्गत खानों और खनिजों के पूर्वेक्षण और विकास के प्रयोजनों के लिए अपतटीय क्षेत्र और भारत के बाहर भी है ;

(ii) न्यास को राष्ट्रीय खनिज पूर्वेक्षण और विकास न्यास के रूप में पुन: नामित करना, जिससे इसके वर्धित विस्तार प्रतिबिंबित हो तथा पट्टाधारियों द्वारा वर्तमान में संदेय दो प्रतिशत स्वामित्व को बढ़ाकर स्वामित्व की रकम को तीन प्रतिशत करना ;

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए खनिज पट्टे में किसी नए खनिज को सम्मिलित करने के लिए तथा अधिनियम की प्रस्तावित आठवीं अनुसूची में प्रस्तावित संदेय अतिरिक्त रकम हेतु समर्थ बनाना । उन खनिजों का, जो लघु मात्रा में पाए जाते हैं तथा जिनका खनन और प्रसंस्करण कठिन है, उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रांतिक और रणनीतिक खनिज या खनिजों को सम्मिलित करने पर कोई अतिरिक्त रकम लागू नहीं है ;

(iv) किसी खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के एक बार

विस्तार को ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा अतिरिक्त संदाय के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों में विहित किए जाएं, पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन विद्यमान क्षेत्र में क्रमश: दस प्रतिशत या तीस प्रतिशत से अनधिक संसक्त क्षेत्र उसमें सम्मिलित करने के लिए समर्थ बनाना । यह गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के इष्टतम खनन का संवर्धन करेगा, जो संसक्त क्षेत्रों के भीतर हैं और किसी पृथक् पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन उनका निष्कर्षण किया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है ;

(v) केंद्रीय सरकार को बाजार के विकास का संवर्धन करने के लिए सशक्त करना, जिसके अंतर्गत खनिजों, खनिज विनिमय के माध्यम से इसके सांद्र या इसके प्रसंस्कृत रूपों (धातुओं सहित) का व्यापार भी है । देश में खनिजों की वर्धित उपलब्धता और मांग के साथ खनिजों के लिए एक गतिशील बाजार क्रियाविधि का उपबंध करने की आवश्यकता है, जो मजबूत विनियामक शासन द्वारा समर्थित हो । खनिज विनिमय की स्थापना से आपूर्ति और मांग गतिशीलता के आधार पर ऋजु और पारदर्शी बाजार मूल्यों का निर्धारण करने, बाजारों को स्थायित्व प्रदान करने तथा बजट और योजना बनाने में सहायता करने में खनिजों के खनकों तथा अंत्य-उपयोक्ताओं को सहायता मिलेगी । इससे खनन सेक्टर तथा परिवहन और भंडारण से संबंधित अवसंरचना में निवेश का संवर्धन होगा ;

(vi) आबद्ध खानों से खनिजों के विक्रय पर सीमा को हटाना, जिससे खनक खान से सहबद्ध अंत्य-उपयोग संयंत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् तथा अधिनियम में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम के संदाय पर खनिजों का विक्रय कर सकें ;

(vii) आबद्ध पट्टों से ढेरों के विक्रय को अनुज्ञात करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी तारीख तक अंबार लगे हुए हैं, जिन्हें पर्यावरणीय खतरों को कम करने और खान संकर्मों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आबद्ध रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, बाजार में अधिक खनिज लाना और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्रदान करना ।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली;
8 अगस्त, 2025

जी. किशन रेड्डी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक देश में क्रांतिक, रणनीतिक और गइराई में स्थित खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाने, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए राष्ट्र के खनिज संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने के लिए है ।

2. विधेयक का खंड 4 में उक्त अधिनियम की धारा 9ग में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जो कि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास का विस्तार और राज्य क्षेत्र कार्यक्षेत्र किया और न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग भारत जिसके अंतर्गत अपतट क्षेत्र भी है के भीतर और भारत के बाहर खानों और खनिजों की खोज और विकास के प्रयोजनों के लिए किया जा सके । अधनियम की धारा 9ग के विद्यमान उपबंध के अधीन, खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक को न्यास को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के निबंधनों में संदत्त स्वामित्व के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि का संदाय करना अनिवार्य है । विधेयक में पट्टेदरों द्वारा न्यास को संदाय की जाने वाली रकम को संदेय स्वामित्व के वर्तमान दो प्रतिशत से बढ़ाकर संदेय स्वामित्व के तीन प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है ।

3. वर्तमान में न्यास को प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रोद्भूत होते हैं और न्यास निधि भारत के लोक लेखा में रखी जाती है, जिसमें वर्तमान में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का कोर है । जैसे कि प्रस्तावित है, यदि न्यास के संदेय स्वामित्व को वर्तमान दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया जाए तो अगले पांच वर्ष में न्यास को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोर प्रोद्भूत होगा । यह रकम न्यास के बढ़े हुए विस्तार और राज्य क्षेत्र को पूरा करने के लिए अपेक्षित होगी । राष्ट्रीय क्रांतिक खनिज मिशन के अधीन न्यास द्वारा अगले पांच वर्ष में 8,700 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना परिकल्पित है ।

4. न्यास का प्रोद्भवन और उससे होने वाला व्यय भारत की संचित निधि के माध्यम से किया जाएगा न्यास और भारत की संचित निधि से होने वाला समस्त व्यय अनावर्ती प्रकृति का होगा ।

5. विधेयक के अन्य प्रस्तावों पर, यदि वे अधनियमित किए जाते हैं तो कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 6 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का उपबंध करती है- (i) यथास्थिति, खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा विद्यमान पट्टाधीनक्षेत्र या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के विस्तार पर संदत्त की जाने वाली अतिरिक्त रकम; (ii) गौण खनिज की बाबत अनुदत्त पट्टे में गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज को सम्मिलित करने के लिए शर्तें ।

2. विधेयक का खंड 7 उक्त अधिनियम में नई धारा 15ख के अंत:स्थापन के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (2) केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करके अष्टम अनुसूची में संशोधन करने के लिए सशक्त करती है, जो सम्मिलित खनिज के प्रेषण पर पट्टेदार द्वारा देय अतिरिक्त रकम को विनिर्दिष्ट करती है । उक्त धारा की उपधारा (4) राज्य सरकार को गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत अनुदत्त पट्टे में सम्मिलित गौण खनिज के प्रेषण पर पट्टेदार द्वारा किए गए स्वामित्व और अन्य संदायों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करती है ।

3. विधेयक का खंड 9 उक्त अधिनियम में नई धारा 18ख के अंत:स्थापन के लिए है जो केंद्रीय सरकार को खनिजों, उनके सांद्र या उनके प्रसंस्कृत प्ररुपों(धातुओं सहित) के बाजार के विकास को जिसके अंतर्गत व्यापार भी है, ऐसी रीति में, खनिज विनिमयों के माध्यम से करने के लिए सशक्त करती है जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित किए जाए । विधेयक का खंड 9 उक्त अधिनियम की नई धारा 18ख के अंत:स्थापन के लिए है जो केंद्रीय सरकार को खनिज विनिमयों के माध्यम से ऐसी रीति में जो केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, खनिजों के बाजार के विकास, जिसके अंतर्गत व्यापार भी है, इसके सांद्र या इसके प्रसंस्कृत प्ररुपों (धातुओं सहित) का संवर्धन करने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है - (i) खनिज विनिमयों का रजिस्ट्रीकरण और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण; (ii) खनिज विनिमयों और बाजार अन्वेक्षा के सभी पहलुओं और कार्यकलापों का विनियमन; (iii) फीसों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण, (iv)खनिज विनिमयों पर खनिज व्यापार के संबंधित कार्यकलापों संबंधी डाटा बैंक का रखरखाव; (v) उत्पादक संघ, अंतरंगी व्यापार, परिपत्र व्यापार, बाजार छलसाधन, और कोई अन्य विषय जो खनिज विनिमयों के प्रतिभागियों के लिए हानिकारक है, का निवारण; (vi) खनिज विनिमयों के प्रतिभागियों की शिकायत प्रतितोषण; और (vii) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।

4. ऐसे विषय जिसकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, वे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और प्रस्तावित विधान में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन)] अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

8क. (1)   *   *   *   *   *

कोयला, लिग्नइट और आणविक खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने की कालावधि ।

(7क) कोई पट्टेदार, जहां खनिज का उपयोग किसी कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया गया है, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम का जो षष्ठम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करके खान के साथ जुड़े अन्तिम उपयोग संयंत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् किसी वर्ष में उत्पादित कुल खनिज के पचास प्रतिशत तक खनिज का विक्रय कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए खनिज की उक्त प्रतिशतता में वृद्धि कर सकेगी जिसका विक्रय किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए षष्ठम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।

*   *   *   *   *   *

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास ।

9ग. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के नाम से ज्ञात एक अलाभकर निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी ।

(2) न्यास का उद्देश्य, प्रादेशिक और विस्तृत खोज के प्रयोजनों के लिए न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

*   *   *   *   *   *

(4) खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का धारक, न्यास को द्वितीय अनुसूची के निबंधनों में संदत्त स्वामिस्व के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि का संदाय ऐसी रीति में करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(5) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट और अधिसूचित अस्तित्व, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के अधीन वित्तपोषण के पात्र होंगे ।

*   *   *   *   *   *

10ख. (1)   *   *   *   *   *

नीलामी के माध्यम से अधिसूचित खनिजों की बाबत खनन पट्टा अनुदत्त करना ।

(2) जहां किसी क्षेत्र की बाबत अधिसूचित खनिज की खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता को दर्शित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य हैं, तो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, ऐसे ऐसे क्षेत्र में उक्त अधिसूचित खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-

खनन पट्टा अनुदत्त कर सकेगी ।

* * * * * *

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(थथख) धारा 9ग की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को उद्भूत निधियों के उपयोजन की रीति ;

(थथग) धारा 9ग की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की संरचना और कृत्य ;

(थथघ) धारा 4ग की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को रकम के संदाय की रीति;

* * * * * *

पंचम अनुसूची

[धारा 8(4), धारा 8क(8) और धारा 17क(2ग) देखिए]

* * * * * *

2.	ताम्र	संदेय स्वामिस्व के पचास प्रतिशत के समतुल्य

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त रकम, स्वामिस्व या जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को किए गए संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय के अतिरिक्त होगा ।

षष्ठम अनुसूची

[धारा 8(5) और धारा 8क(7क) देखिए]

(i) गैर-नीलामी कैप्टिव खानों (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न) के लिए :—

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(क) अतिरिक्त रकम, जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को दिए गए स्वामिस्व या किए गए संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय या निविदा दस्तावेज या नीलामी प्रीमियम (जो भी लागू हो) में विनिर्दिष्ट संदाय के अतिरिक्त होगी ।

(ख) कोयले और लिग्नाइट के लिए अतिरिक्त रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए मूल्यानुसार स्वामिस्व, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और कर, उद्ग्रहण और अन्य प्रभारों को अपवर्जित करके कोयले की द्योतक कीमत पर आधारित होगी ।"।

* * * * * *